फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नीलाक्ष द्विवेदी माता श्री तक्षशिला द्विवेदी निवासी 2, रॉयल गार्डन के सामने सीसारमा मैन रोड, उदयपुर।		उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 01 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इरा हुक्म की तामिल में जारी हुए
31.01.2025	प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 06/2015 अनवान सरकार बनाम उषा, तक्षशिला व अन्य अन्तर्गत धारा 145, 146 द.प्र.संहिता को न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा से न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही में स्थानान्तरण कराने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। प्रार्थिया का मुख्यतः तर्क है कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से छः माह में निस्तारण करने का आदेश फरमाया हुआ है एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा का पद रिक्त होने से उक्त प्रकरण में निर्णय नहीं हो पा रहा है। प्रार्थिया द्वारा किया गया तर्क न्यायसंगत प्रतीत होने से उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा से न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 06/2015 अनवान सरकार बनाम उषा, तक्षशिला व अन्य अन्तर्गत धारा 145, 146 द.प्र.संहिता को न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा से न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही में स्थानान्तरण किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner